

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/हजारीबाग/ अग्रिम योजना,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 03.10.22

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 22 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रु 275.66 लाख (दो करोड़ पचहत्तर लाख छियासठ हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	275.660

कुल आवंटित राशि - रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख छियासठ हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के संशोधित बजट उपबंध रु 10886.06 लाख (एक सौ आठ करोड़ छियासी लाख छः हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1362 दि. 09.05.2016 2747 (वि.) दि. 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरुद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन हार्ड कापी में Access No एवं Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त

03/01/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 217

रॉची, दिनांक :- 03.1.22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. -हिनूरॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/हजारीबाग/दुमका/पाकुड़/मधुपुर/खूंटी/गोडडा/गुमला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

03/01/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 217

रॉची, दिनांक :- 03.1.22

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/अधीक्षक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल-2, रॉची को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

03/01/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

पशिष्ट I

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना

पत्रांक 217 दिनांक 03/12/22 का अनुलग्नक

माना संख्या-48-जल संसाधन विभाग

मौजि संख्या-49-जल संसाधन विभाग																			
वित्तीय वर्ष 2021-2022		वित्तुल शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			वित्तुल शीर्ष-02-यात्रा व्यय			वित्तुल शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						वित्तुल शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां अन्य व्यय		वित्तुल शीर्ष-07-विधि प्रभार		राशि लाख रुपये में	
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एलएटीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	दफ्ती	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां ईंधन एवं भरमादि	विधि प्रभार	कुल योग	अभिवृत्ति				
0	कार्यालय का नाम	विपन्न कोड	48S270103001 070000101	48S270103000 107000010	48S270103001 070000112	48S270103001 070000213	48S270103001 070000315	48S270103001 070000316	48S270103001 107000033	48S270103001 070000334	48S270103001 070000337	48S270103001 070000442	48S270103001 070000760	16	17				
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, देवघर	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.700	1.300	0.000	0.800	0.300	0.000	0.000	1.900	0.000	155.000	0.500	*			
2	मुख्य अभिगो यात्रिक, रौकी	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.100	0.200	0.000	0.000	0.400	0.300	0.000	0.000	1.300	0.000	46.400	0.300				
3	जलपथ अंचल, चारबासा	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.300	0.400	0.800	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.700	0.100	149.700	0.300				
4	जलपथ अंचल, दुमका	कुल आवंटन 80.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.400	0.500	81.600	0.600				
5	जलपथ अंचल, रौकी	पूर्व का आवंटन 210.000	0.000	0.000	0.500	0.800	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	1.000	0.100	212.800	0.800				
6	सिंचाई अंचल, साहेबगंज	कुल आवंटन 210.000	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	1.000	0.200	213.600	65.500				
7	जलपथ प्रमंडल, छुंटी	पूर्व का आवंटन 63.000	0.000	0.000	0.300	0.700	0.000	0.400	0.100	0.000	0.000	1.000	0.000	76.100	10.600				
8	जलपथ प्रमंडल स.1, चकधरपुर	कुल आवंटन 280.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	280.800	87.200				
9	पुनर्वास पराधिकारी, देवघर	पूर्व का आवंटन 85.000	0.000	0.000	1.000	0.450	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.550	0.200	366.000	248.200				
		कुल आवंटन 246.000	0.000	0.000	1.000	0.700	0.000	0.150	0.050	0.000	0.000	0.550	0.300	248.150	67.550				
		कुल आवंटन 246.000	0.000	0.000	1.000	0.700	0.000	0.150	0.050	0.000	0.000	0.550	0.300	248.150	67.550				
		कुल आवंटन 67.000	0.000	0.000	0.200	0.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	67.650	0.100				

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2021-2022	वित्तुल शीर्ष-01-वैलन एवं नगै			वित्तुल शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										वित्तुल शीर्ष-04-मोटरगाडिगां अन्य व्यय		वित्तुल शीर्ष-07-विविध प्रसार		राशि लाख रुपये में	
		वैलन	के पूर्व का वक्राया	वैलनादि	वैलनादि	वैलनादि	वैलनादि	वैलनादि	वैलनादि	वैलनादि	वैलनादि	वैलनादि	वैलनादि	वैलनादि	वैलनादि	वैलनादि	वैलनादि	वैलनादि	वैलनादि	वैलनादि
0	कार्यालय का नाम	विविध कोड	445270103001 070000101	445270103000 070000110	445270103001 070000112	445270103001 070000113	445270103001 070000114	445270103001 070000115	445270103001 070000116	445270103001 070000117	445270103001 070000118	445270103001 070000119	445270103001 070000120	445270103001 070000121	445270103001 070000122	445270103001 070000123	445270103001 070000124	445270103001 070000125	कुल योग	अतिरिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
10	पुनर्गती स्वीकार प्रमंडल, पुनर्गती देवघर	पूर्व का आवंटन	245.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.100	245.600	0.550				
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	246.150					
		कुल आवंटन	245.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.300	246.150					
11	रुग्णकण प्रमंडल सं-4, देवघर	पूर्व का आवंटन	144.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	144.750	10.080				
		अतिरिक्त आवंटन	10.000	0.000	0.000	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	154.830					
		कुल आवंटन	154.000	0.000	0.000	0.280	0.450	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	154.830					
12	विशेष मू-अर्जन पदम, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	163.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	163.800	40.200				
		अतिरिक्त आवंटन	40.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	204.000					
		कुल आवंटन	203.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	163.800	40.200				
13	विशेष मू-अर्जन पदम, तेजुघाट परियोजना, इजाराबाग	पूर्व का आवंटन	132.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	132.750	0.500				
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	132.750					
		कुल आवंटन	132.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	132.750	0.500				
14	विशेष मू-अर्जन पदम, देवघर	पूर्व का आवंटन	154.770	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	155.570	22.700				
		अतिरिक्त आवंटन	22.000	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.200	178.270					
		कुल आवंटन	176.770	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.200	178.270					
15	विशेष मू-अर्जन पदम, चौबी	पूर्व का आवंटन	272.000	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.250	0.150	0.000	0.000	0.000	0.700	276.000	0.800				
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.700	276.800					
		कुल आवंटन	272.000	0.000	0.000	1.800	1.000	0.000	0.250	0.150	0.000	0.000	0.000	0.700	276.800					
16	सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह	पूर्व का आवंटन	28.000	0.000	0.000	0.850	0.450	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	29.830					
		अतिरिक्त आवंटन	231.000	0.000	0.000	1.050	0.700	0.030	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.100	233.630					
		कुल आवंटन	259.000	0.000	0.000	1.900	1.150	0.060	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.200	260.460					
17	सिंचाई प्रमंडल, देवघर	पूर्व का आवंटन	284.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	284.750	31.000				
		अतिरिक्त आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.400	315.750					
		कुल आवंटन	314.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.700	315.750					
18	सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़	पूर्व का आवंटन	112.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.100	112.500	24.550				
		अतिरिक्त आवंटन	23.500	0.000	0.000	0.600	0.450	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	137.050					
		कुल आवंटन	135.500	0.000	0.000	0.800	0.700	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.100	137.050					

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(रघुनाथ प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-2022			विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तों			विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय			विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र.सं	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतन/दिव	एलापेटोसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,रूँ, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां	इंजन एवं मरम्मत	विधि प्रसार	कुल योग	अनुविधिक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
19	सिंघाई प्रमंडल, सिंघाई	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	225.000 0.000 225.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.300	0.800 0.250 1.050	0.000 0.000 0.000	0.250 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.350 0.250 0.600	226.700 0.500 227.200									
20	सिंघाई प्रमंडल, सं0-2,जामताड़ा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	162.000 0.000 162.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.800 1.000	0.250 0.450 0.700	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.050	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.300	0.000 0.000 0.500	0.250 0.000 0.000	1.500 163.950 130.800									
21	सिंघाई प्रमंडल सं-2, सिंघाई	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	130.000 0.000 130.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.400 0.600	0.250 0.450 0.700	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.150	0.050 0.000 0.150	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.800	0.500 0.000 0.800	0.000 0.000 0.100	132.150 240.000 141.150									
22	सिंघाई यात्रिक प्रमंडल, रॉबी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	238.000 11.000 249.000	0.000 0.000 0.000	0.200 0.000 0.200	0.700 0.000 0.700	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.150	0.050 0.000 0.200	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.900	0.100 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	251.150 275.660	*								
अतिरिक्त आवंटन का योग		259.500	0.000	0.000	5.130	5.050	0.030	0.000	0.200	0.000	0.000	4.000	1.750											

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख छियासठ हजार मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रघुम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव(प्रशांत कुमार)
सचिव